

कानूनसंख्या 14012/9/89-राष्ट्रभा-(ग), दिनांक 27 जून, 1989

विषय: केंद्रीय सरकार की सेवाओं में अथवा पदों पर भर्ती के लिए ली जाने वाली परीक्षाओं का माध्यम-विज्ञापन जारी करते समय स्पष्ट उल्लेख।

इस विभाग के 6 जनवरी, 1976 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/14012/34/75-राष्ट्रभा-(ग) में ये निर्देश दिए गए थे कि भारत सरकार के हिंदी भाषी राज्यों में स्थित कार्यालयों की सेवाओं में अथवा पदों पर सीधी भर्ती के लिए ली जाने वाली परीक्षाओं में वैकल्पिक माध्यम के रूप में हिंदी के प्रैचिक प्रयोग की अनुमति दे दी जाए। दिनांक 21 मई, 1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14012/6/87-राष्ट्रभा-(ग) के द्वारा ये निर्देश केंद्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन या स्वामित्व वाले सभी सरकारी उपकरणों, वैकों आदि के हिंदी भाषी राज्यों पर भी लागू कर दिए गए थे।

2. उपर्युक्त आदेशों के बाबजूद इस विभाग के ध्यान में यह थात आई है कि केंद्रीय सरकार के हिंदी भाषी राज्यों में स्थित कार्यालयों में भर्ती के लिए ली जाने वाली परीक्षाओं में हिंदी का विकल्प सदैव उपलब्ध नहीं होता। भर्ती के लिए समाचार पत्रों, रोजगार समाचार, आदि में जो विज्ञापन दिए जाते हैं उनमें भी यह स्पष्ट रूप से नहीं लिखा रहता है कि अभ्यार्थियों को हिंदी में उत्तर देने की छूट दी जाए।

3. यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि हिंदी भाषी राज्यों में स्थित केंद्रीय सरकार के सभी कार्यालयों, उपकरणों, वैकों आदि में रिक्त पदों पर तथा सेवाओं में भर्ती हेतु ली जाने वाली परीक्षाओं में अंग्रेजी के प्रश्न पत्र को छोड़कर अन्य सभी प्रश्न पत्रों का उत्तर हिंदी में देने की छूट दी जाए। रिक्तियों को समाचार पत्रों तथा रोजगार समाचार आदि में प्रकाशित करते समय निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखा जाए:-

- (1) विज्ञापन हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित किए जाएं। यदि अंग्रेजी के समाचार पत्र में विज्ञापन अंग्रेजी में दिए जाते हैं तो साथ ही हिंदी के समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ विज्ञापन हिंदी में ही जारी किए जाएं।
- (2) विज्ञापनों में यह स्पष्ट रूप से लिखा जाए कि अंग्रेजी भाषा के प्रश्न पत्र को छोड़कर अन्य सभी प्रश्न पत्रों के उत्तर अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में भी दिए जाने की छूट उपलब्ध है।
- (3) विज्ञापन में स्पष्ट कर दिया जाए कि प्रश्न पत्र दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराए जाएं।
- (4) विज्ञापन में यह भी स्पष्ट बता दिया जाए कि आवेदन कर्ता अपना आवेदन पत्र हिंदी वा अंग्रेजी में दे सकता है। यदि विज्ञापन में आवेदन पत्र का प्रोफार्म छपवाया जाए तो यह प्रोफार्म हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छपवाया जाना चाहिए।

4. संघ लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती हेतु ली जाने वाली परीक्षाओं में भी, जहां हिंदी में उत्तर देने की छूट प्राप्त है, विज्ञापन देते समय ऊपर दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखा जाए।

5. नित बनालय आदि से अनुरोध है कि ये निर्देश अपने सभी संबंध और अवैनस्थ कार्यालयों/उपकरणों, वैकों आदि के ध्यान में ला दें और उनसे इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का अनुरोध करें। कार्यिक तथा प्रशिक्षण विभाग से अनुरोध है कि संघ लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इन निर्देशों का अनुपालन करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।